

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 1335/ब-4/चार,
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 06/12/2016

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

- विषय :- शासकीय भुगतान के लिये ई-पेमेंट प्रणाली लागू करने बाबत
संदर्भ :- 1. वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 68/वित्त/ब-4/चार/2012, दिनांक
25.04.2012 (वित्त निर्देश 19/2012)
2. वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 946/वित्त/ब-4/चार/2012, दिनांक
05.06.2012 (वित्त निर्देश 34/2012)
3. वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 273/वित्त/ब-4/चार/2012, दिनांक
12.06.2012 (वित्त निर्देश 42/2012)
4. वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 499/वित्त/ब-4/चार/2012, दिनांक
31.07.2012 (वित्त निर्देश 55/2012)


---000---

संदर्भित वित्त निर्देश 19/2012 के कण्डिका 3 में ₹ 10,000/- या इससे अधिक के भुगतान के लिये ई-पेमेंट की व्यवस्था लागू की गई है।

2- राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि अब ₹ 5,000/- या इससे अधिक के भुगतान के लिये ई-पेमेंट की व्यवस्था लागू की जाए। "

3- शेष शर्तें यथावत रहेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(सतीश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव

पृष्ठांकमांक 1336/ब-4/चार,
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक 06/12/2016

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
 2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
 3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, महानदी भवन, नया रायपुर
 4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
 5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
 6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
 7. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
 8. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
 9. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
 10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
 11. राज्य सूचना आयुक्त, इन्द्रावती खण्ड, पुराना मंत्रालय, परिसर, रायपुर
 12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
 13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
 14. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. छत्तीसगढ़ रायपुर
 15. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
 16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
 17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला / इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
 18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर / बिलासपुर, छत्तीसगढ़
 19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, नया रायपुर
- को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु
20. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु



(राघवेन्द्र कुमार)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी